आदर्श कुमार गोयल, एसीजे और राजेश बिंदल, जे., के समक्ष

एम/एस वायरलेस टीटी. जानकारी. सर्विसेज लिमिटेड और अन्य, - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - उत्तरदाता

C.W.P.No. 20354 of 2009

3 जून 2011

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 19(1)(जी) और 226 और 265, सूची-I की प्रविष्टि 31 और सत्तर अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 5, 6, 18, 49 और 66-हरियाणा नगरपालिका (संचार टॉवर का निर्माण) उपनियम, 2009 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973-धारा 2(2), 12 70(1) (1) से (xiv), 70(2) और 200(XXX) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 धारा 88, 392 और 393 हरियाणा नगरपालिका भवन उपविधि, 1982-उपविधि 2(Xii)-भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885- धारा 3(5), 6, 10 और 12-दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंसधारकों को उपयोग करने/किराए पर देने के लिए टावर बनाए गए-अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त किए गए परिसर-प्रारूप उप-कानून अधिसूचित किए गए-आपत्तियां आमंत्रित की गईं-आपत्ति कि दूरसंचार डोमेन के अंतर्गत आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार उपनियम जारी करने में अक्षम थीं।

अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 2(2) के तहत भवन की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और यह किसी भी तरह से "भवन" शब्द को प्रतिबंधित नहीं करती है। इसमें धातु से बनी संरचना भी शामिल है। अदालतों को प्रतिमाओं की व्याख्या इस तरह से करने की आवश्यकता है कि बदलते समय के साथ शब्दों को अद्यतन किया जा सके।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह तर्क भी मान्य नहीं है कि सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 31 के संदर्भ में दूरसंचार सेवाएं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। केवल इसलिए कि केंद्रीय कानून एक पहलू का ध्यान रखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अन्य प्राधिकरण इसके अन्य पहलुओं को विनियमित नहीं कर सकता है। यदि किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में भवन का निर्माण किया जाना है या टावर खड़ा किया जाना है, तो उसे इस उद्देश्य के लिए लागू किसी भी स्तर के प्रावधानों के अनुपालन में होना चाहिए। 1973 अधिनियम के तहत बनाए गए भवन निर्माण उपनियम स्पष्ट रूप से भूखंड के क्षेत्र, ज़ोनिंग योजना, अधिकतम ऊंचाई आदि का प्रावधान करते हैं। राज्य सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 31 के संदर्भ में भारत संघ द्वारा प्रदत्त शक्ति का उल्लंघन नहीं कर रहा है।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि व्यवसाय चलाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि यह हमेशा उचित प्रतिबंध और विनियमन के अधीन है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19, 1(जी) और 265 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। सातवीं अनुसूची की सूची- II में प्रविष्टि 66 राज्य को सूची में किसी भी मामले के संबंध में शुल्क लगाने में सक्षम बनाती है। धारा 70(1) (XV) में प्रावधान है कि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य टोल, कर या मल, जिसे राज्य विधानमंडल के पास लगाने की शक्ति है, लगाया जा सकता है, बशर्ते वह अधिकतम सीमा से अधिक न हो जिसे अधिसूचित किया जा सकता है। राज्य सरकार समय-समय पर. हरियाणा नगरपालिका (संचार टावरों का निर्माण) उपनियम, 2009 की वैधता बरकरार रखी गई। हालाँकि, लाइसेंस शुल्क धारा 70(1)(XV) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार होने का निर्देश दिया गया है और अंतिम दर धारा 70(2) के अनुसार नगरपालिका समिति द्वारा तय की जानी है।

(पैरा 16, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 35 और 36)

ए.के. चोपड़ा और कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ वकील, विशाल गुप्ता, रोहित खन्ना, वी.के. शर्मा, डी.के. सिंघल, संदीप छाबड़ा और अर्जुन लखनपाल, याचिकाकर्ताओं के वकील।

आईएचएस. हुडा, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुलवीर नरवाल और रणधीर सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा और संजय चौहान, प्रतिवादी नंबर 3 और 4 के लिए वकील और दीपक बालियान, सीडब्ल्यूपी 2010 का नंबर 11489 में प्रतिवादी नंबर 5 के लिए वकील।

राजेश बिंदल, जे.

(1) यह आदेश 2009 के 20354, 577, 586, 711, 713, 1700, 1701, 2159, 2380, 2420, 4285, 10663, 2010 के 11489 और 2011 के 6029 वाली रिट याचिकाओं के एक समूह का निपटान करेगा। मुख्य रूप से हरियाणा नगरपालिका (संचार टावरों का निर्माण) उपनियम, 2009 (संक्षेप में, 'उपनियम') की वैधता को चुनौती दी गई है।

(2) तथ्य सी.डब्लू.पी. 2009 की संख्या 20354 से निकाले गए हैं।

(3) रिट याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ता पंजीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I (आईपी-1) होने का दावा कर रहे हैं। वे दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसधारियों को उपयोग करने या उन्हें किराए पर देने के उद्देश्य से टावरों का निर्माण करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति के क्रम में याचिकाकर्ताओं ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर निजी व्यक्तियों के परिसर में टावरों को खड़ा करने और बनाए रखने का काम शुरू किया। याचिकाकर्ताओं ने उन स्थानीय अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की थी जिनके अधिकार क्षेत्र में टावरों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (संक्षेप में '1885 अधिनियम') की धारा 12 के अनुसार स्थापित किया जा रहा था

और अपेक्षित शुल्क का भुगतान भी किया था। हालाँकि, बाद में अधिकारियों ने भारी भरकम अनुदान की मांग की। 12 अगस्त, 2009 को, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, '1973 अधिनियम) की धारा 200 (xxx) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य ने इस उद्देश्य के लिए मसौदा उपनियमों को अधिसूचित किया और आपत्तियां आमंत्रित कीं। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने विस्तृत आपत्तियां दायर कीं, जिसमें इस तथ्य पर विचार करते हुए इस विषय पर राज्य की अक्षमता के बारे में आपत्ति शामिल थी कि दूरसंचार केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार किए बिना, 11 नवंबर, 2009 को उपनियमों को अधिसूचित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। ये उपनियम हैं, जिनका रिट याचिका में विरोध किया गया है।

(4) कुछ रिट याचिकाओं में, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (संक्षेप में, '1994 अधिनियम') की धारा 88, 392 और 393 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रकार लागू किए गए उपनियम तैयार किए गए हैं। ये समान पंक्तियों पर हैं।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान (संघ सूची) की सातवीं अनुसूची की सूची-1 में प्रविष्टि 31 के तहत दूरसंचार को कवर किया जा रहा है, याचिकाकर्ताओं द्वारा दूरसंचार उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले टॉवर, राज्य पूरी तरह से हैं इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाने में अक्षम है। यह प्रस्तुत किया गया था कि टावर दूरसंचार प्रणाली का अभिन्न अंग हैं जिसकी शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। 1885 अधिनियम की धारा 3(5) और (6) में निहित 'पोस्ट' और 'टेलीग्राफ प्राधिकरण' शब्दों की परिभाषा का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं को टेलीग्राफ प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि इसकी धारा 10 टेलीग्राफ प्राधिकरण को उसमें दिए गए कुछ अपवादों के अधीन किसी भी अचल संपत्ति के नीचे, ऊपर, साथ, या पार, और अंदर या ऊपर टेलीग्राफ लाइन लगाने और बनाए रखने की शक्ति प्रदान करती है। राज्य के पास किसी भी सक्षमता के अभाव में, टावर की स्थापना के लिए लाइसेंस/अनुमति देने या शुल्क लगाने आदि के रूप में किसी भी तरीके से शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से अक्षम हो जाएगा।

(6) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 1973 के अधिनियम में भी ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं था, धारा 200, उप-धारा (xxx) को जोड़ा गया था जिससे राज्य अन्य बातों के साथ-साथ संचार टावर के निर्माण को विनियमित करने के लिए उप-कानून बनाने में सक्षम हो सके। इस प्रकार सौंपी गई शक्ति की आड़ में, राज्य सरकार ने विवादित उपनियमों को अधिसूचित कर दिया है, जो न केवल संबंधित प्राधिकारी को टावर के स्थान को देखने की शक्ति प्रदान करता है, इस तथ्य को जाने बिना कि विभिन्न स्थानों पर टावरों का निर्माण नहीं किया जाता है। इसके लिए या तो सिग्नल को बढ़ावा देना है या अपेक्षित रेडियो फ्रीक्वेंसी को बनाए रखना है। यहां तक कि टावर की अधिकतम ऊंचाई भी उपनियमों में तय की गई है, हालांकि यह आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक साइट के लिए लाइसेंस शुल्क

की अत्यधिक राशि का भुगतान किया जाना तय किया गया है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस शुल्क का 10% वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। वास्तव में, 1973 के अधिनियम में स्थानीय प्राधिकारी को इस प्रकार का कोई कर लगाने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 265 याचिकाकर्ताओं के बचाव में आता है, जो यह प्रावधान करता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर लगाया या वसूल नहीं किया जा सकता है, भले ही इसे शुल्क के रूप में माना जाता है, लेकिन बदले की भावना का तत्व पूरी तरह से गायब है। . यहां तक कि शुल्क लगाने के लिए भी 1973 अधिनियम के तहत कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता आपसी सहमति की शर्तों पर उसके मालिकों से पट्टे/किराए पर या अन्यथा जमीन लेकर टावर लगा रहे हैं। वास्तव में, यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस तरह के अत्यधिक शुल्क की वसूली को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उत्तर में यह कहकर उचित ठहराया गया है कि स्थानीय प्राधिकारी भी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित भारी आय को साझा करने के हकदार हैं क्योंकि उन्हें शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए भारी धन की आवश्यकता है। कस्बों और वहां की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। शुल्क लगाये जाने से स्थानीय प्राधिकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील यह थी कि राज्य द्वारा मल लगाने के लिए दिया गया उपरोक्त कारण, हालांकि उसके विधायी या प्रत्यायोजित अधिकार से परे है, उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(7) 1973 अधिनियम की धारा 2(2) में निहित भवन की परिभाषा का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि टावर को मानव निवास के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत नहीं कहा जा सकता है। एक बार जब टावर एक इमारत नहीं है, तो स्थानीय अधिकारियों के पास याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करने या इस उद्देश्य के लिए कोई शुल्क देने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है। वास्तव में, यह याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवाओं में हस्तक्षेप होगा, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष स्थान पर और एक विशेष ऊंचाई का टावर खड़ा किया जाना है और स्थानीय अधिकारियों ने अनुमति देने से इंकार कर दिया, इसलिए याचिकाकर्ता दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएंगे या किसी भी कारण से अनुमति न देने से दूरसंचार सेवाओं में हस्तक्षेप होगा। राज्य द्वारा अधिसूचित उपनियम अधिकारियों को अनुमति देने या अस्वीकार करने या यहां तक कि उस परिसर को इंगित करने की मनमानी शक्ति प्रदान करते हैं जहां ऐसे टावर लगाए जाने चाहिए। इन चीजों को उपनियमों में प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिग्नल और आवृत्ति की ताकत को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता आधारित है, जो अत्यधिक तकनीकी है। दरअसल, स्थानीय अधिकारियों के पास अनुमति देते या अस्वीकार करते समय इन पहलुओं की जांच करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है।

(8) विद्वान वकील ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार विभाग को की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि 1885 अधिनियम के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरण की शक्ति केवल उन संपत्तियों तक सीमित है जो स्थानीय द्वारा निहित या नियंत्रित या प्रबंधित हैं। प्राधिकरण और यह भी राय दी कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमति देने से इनकार करने या अनुमति देने के लिए शर्त लगाने के मामलों से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग में एक संयुक्त सचिव को विवाद समाधान प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। दलील यह थी कि इस तरह के निर्देश वैधानिक रूप से गठित प्राधिकारी द्वारा इस कारण से जारी किए गए थे कि टावर के निर्माण की अनुमति देने/अस्वीकार करने के दौरान स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाई गई विभिन्न शर्तों/प्रतिबंधों के कारण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि ये सरकार की दूरसंचार नीति के सुचारू कार्यान्वयन में बाधाएँ पैदा कर रहे थे।

(9) दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने **इलिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य पर भरोसा जताया, (1); ओम प्रकाश अग्रवाल आदि बनाम गिरि राज किशोरी एवं अन्य, (2); कलकत्ता नगर निगम और अन्य बनाम श्रेय मर्केंटाइल (पी) लिमिटेड और अन्य, (3); जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (4); गुप्ता मॉडर्न ब्रुअरीज बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य, (5) और मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (6)** पर आश्रय रखा है।

(10) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जिस विषय पर राज्य ने उपनियम बनाए हैं, वह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 31 में नहीं आता है, क्योंकि इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। दूरसंचार के साथ करें, बल्कि, राज्य के पास स्थानीय क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों से निपटने के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के 1.ist-II की प्रविष्टि 5, 6, 18 और 49 के तहत व्यापक शक्ति है। इसके दो अलग-अलग पहलू हैं, एक टावर के रूप में एक संरचना का निर्माण और दूसरा सेवा प्रदान करना। राज्य/स्थानीय अधिकारी दूरसंचार सेवा प्रदान करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि, उन्हें निश्चित रूप से टावरों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार है। यह तर्क पूरी तरह गलत होगा कि टावर 'बिल्डिंग' शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। 1973 अधिनियम की धारा 2(2) में निहित परिभाषा में केवल वे परिसर शामिल नहीं हैं जो मानव निवास के लिए उपयोग किए जाते हैं, बल्कि, यह 'या अन्यथा' शब्द का भी उपयोग करता है और आगे इस्पात संरचना भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही, हरियाणा नगरपालिका भवन उपनियम 1982 (संक्षेप में, भवन उपनियम') के उपनियम 2(xii) में निहित "भवन की

(1) AIR 1961 SC 459
(2) AIR 1986 SC 726
(3) (2005)4 SCC 24 5
(4) AIR 2006 SC 2550
(5) (2007) 6 SCC 3 I 7
(6) 2008 (4) RCR (Civil) 620

परिभाषा" का उल्लेख किया गया था। भवन उपनियम प्रदान करते हैं कि विभिन्न नगरपालिका सीमा के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले भवन की सुरक्षा, संरचनात्मक ताकत, ऊंचाई, भार वहन क्षमता आदि जैसे पहलुओं पर अनुमति देते या इनकार करते समय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ऐसे टावर बनाए जाएं जिनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर हो। उनके द्वारा पेश किया गया मामला यह है कि वे विभिन्न निजी भवनों के मालिकों के साथ समझौता करते हैं और इमारत के शीर्ष पर टावर लगाते हैं। यह कौन सुनिश्चित करेगा कि एक टावर बनाया जाए किसी विशेष स्थान पर इतनी ऊंचाई इसलिए नहीं बनाई जानी चाहिए क्योंकि नीचे की इमारत की मजबूती को देखते हुए वह या तो सुरक्षित नहीं होगी या इससे शहर का क्षितिज खराब हो सकता है। यह तर्क देना पूरी तरह से गलत होगा कि टावर 'भवन' की परिभाषा में इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। क़ानून में निहित परिभाषाओं पर बदलते समय के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। क़ानून जीवित दस्तावेज़ हैं। इनकी सोद्देश्य व्याख्या की जानी चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रभाव पर भी स्थानीय प्राधिकारी को विचार करना होगा क्योंकि यह भी स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र में आता है।

(11) फिर भी, यह दलील दी गई कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) या 265 पर याचिकाकर्ताओं की निर्भरता पूरी तरह से गलत है क्योंकि वर्तमान मामले में स्थानीय प्राधिकारी ने कोई शुल्क नहीं लगाया है। कर क्योंकि इसने केवल नियामक शुल्क लगाया है। प्रति टावर लाइसेंस शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि काफी मामूली है। वही एक बार है. नवीनीकरण शुल्क 10% प्रति वर्ष है। उसके बाद. जिस शहर में टावर लगाए जाने हैं, उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक उचित वर्गीकरण किया गया है। ऐसी कोई विशिष्ट सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बदले में बदले के तत्व की आवश्यकता नहीं है। विवादित उपनियमों को 1973 अधिनियम की धारा 200 (xxx) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सख्ती से तैयार किया गया है। उनकी दलीलों के समर्थन में, **एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लिमिटेड, इलाहाबाद बनाम नगर निगम, इलाहाबाद और अन्य, (7) भारती टेली-वेंचर्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी और श्री सुनील भारती मित्तल बनाम पर भरोसा किया गया था। महाराष्ट्र राज्य, सचिव, शहरी विकास विभाग और पुणे नगर निगम के माध्यम से, (8) रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम पुलिस के एस.आई., MANU/K1/2352/2010: सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम एमसीडी, MANEDE/1198/ 2010 केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय बनाम रामबल कंपनी और अन्य, (9) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम, डब्ल्यू.पी. (सी) 2010 का क्रमांक 3267, 29 अप्रैल 2011**

---

(7) 2000(1)AWC 562

(8) 2007(2)ALLMR 841

(9) (2006) 6 SCC 258

को निर्णय लिया गया।

(12) कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(13) पक्षों के विद्वान वकील को सुना और कागजात का अवलोकन किया गया।

(14) विभिन्न क़ानूनों के प्रासंगिक प्रावधान, जैसा कि ऊपर बताया गया है, नीचे दिए गए हैं:

"अनुच्छेद 19(1)(जी) और 265 और सूची- । की प्रविष्टियाँ 31, भारत के संविधान के की सूची-2 की प्रविष्टियाँ 5, 6, 18, 49 और 66 अनुच्छेद 19(1)(जी)।

19. बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण, आदि -(1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा-

XX XX XX

(जी) कोई पेशा अपनाना, या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना।

<u>अनुच्छेद 265</u>

265. कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा - कानून के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा।

<u>सूची-I की प्रविष्टि 31</u>

31. डाक और तार, टेलीफोन, वायरलेस, प्रसारण और संचार के अन्य रूप।

<u>सूची-II की प्रविष्टियाँ 5, 6, 18, 49 और 66</u>

5. स्थानीय सरकार, अर्थात्, स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजन के लिए नगर निगमों, सुधार ट्रस्टों, जिला बोर्डों, खनन निपटान प्राधिकरणों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का संविधान और शक्तियाँ।

6. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय।

XX XX XX

18. भूमि और, अर्थात्, भूमि में या उस पर अधिकार, मकान मालिक और किरायेदार के संबंध और किराए के संग्रह सहित भूमि कार्यकाल; कृषि भूमि का हस्तांतरण और हस्तांतरण; भूमि सुधार और कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण।

XX XX XX

49. भूमि और भवनों पर कर।

XX XX XX

66. इस सूची में किसी भी मामले के संबंध में शुल्क, लेकिन किसी भी अदालत में लिया गया शुल्क शामिल नहीं है।

<u>**1885 अधिनियम की धारा 3(5) और (6) और 10**</u>

3. परिभाषाएँ.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो।

XX XX XX

(5) "पोस्ट" का अर्थ टेलीग्राफ लाइन को ले जाने, निलंबित करने या समर्थन करने के लिए एक पोस्ट, पोल, मानक, स्टे, स्ट्रट या अन्य जमीन के ऊपर का उपकरण है:

(6) "टेलीग्राफ प्राधिकरण" का अर्थ डाक और तार महानिदेशक है, और इसमें इस अधिनियम के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए उसके द्वारा सशक्त कोई भी कार्यालय शामिल है:

XX XX XX

10. टेलीग्राफ प्राधिकारी को टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट लगाने और बनाए रखने की शक्ति- टेलीग्राफ प्राधिकारी, समय-समय पर, नीचे, ऊपर एक टेलीग्राफ लाइन रख सकता है और उसका रखरखाव कर सकता है। किसी भी अचल संपत्ति के साथ, या उसके पार, और उसमें या उसके ऊपर पोस्ट:

बशर्ते कि-

(ए) टेलीग्राफ प्राधिकरण केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या बनाए रखे जाने वाले या इस प्रकार स्थापित या बनाए रखे जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजनों के लिए इस अनुभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा;

(बी) केंद्रीय सरकार नीचे, ऊपर, साथ की संपत्ति में केवल उपयोगकर्ता के अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं करेगी। उस पार, जिसमें या जिस पर टेलीग्राफ प्राधिकरण कोई टेलीग्राफ लाइन या पोस्ट रखता है: और

(सी) यहां दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, टेलीग्राफ प्राधिकरण उस प्राधिकरण की अनुमति के बिना, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंधन के तहत किसी भी संपत्ति के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा: और

(डी) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। टेलीग्राफ प्राधिकरण जितना संभव हो उतना कम नुकसान करेगा और, जब उसने खंड (सी) में निर्दिष्ट संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग किया है, तो कारण से उनके द्वारा उन के शक्तियों मे किए गए किसी भी नुकसान के लिए इच्छुक सभी व्यक्तियों को पूर्ण मुआवजा देगा।

1973 अधिनियम की धारा 2(2), 70 और 200 (xxx)

2. परिभाषाएँ.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल न हो,-

XX XX XX

(2) **"इमारत"** का अर्थ है कोई भी दुकान, आउट-हाउस, झोपड़ी, घर, शेड या अस्तबल, चाहे वह मानव निवास के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता हो या अन्यथा और चाहे वह चिनाई, ईंट, लकड़ी का हो। मिट्टी, छप्पर, धातु या कोई भी अन्य सामग्री, और इसमें एक दीवार और एक कुआँ शामिल है;

XX XX XX

70. लगाए जाने वाले कर.-(1) इस संबंध में राज्य सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश और नियमों के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर एक समिति कर सकती है। संपूर्ण नगर पालिका या उसके किसी भाग पर निम्नलिखित करों, टोलों और शुल्कों में से कोई भी लागू करें, अर्थात्:

(i) व्यवसायों, व्यापारों, आजीविका और रोजगार पर कर;

(ii) नगर पालिका के भीतर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) के तहत किराए पर चलने वाले या रखे गए या पंजीकृत वाहन पर कर:

(iii) नगर पालिका के भीतर उपयोग के लिए रखे गए सवारी, भार या बोझ के रूप में उपयोग किए जाने वाले जानवरों पर कर, चाहे वे वास्तव में नगर पालिका के भीतर या बाहर रखे गए हों;

(iv) नगर पालिका के भीतर रखे गए कुत्तों पर कर;

(v) एक शो टैक्स:

(vi) नगर पालिका में प्रवेश करने वाले वाहनों पर टोल;

(vii) नगर पालिका के भीतर ले जाने वाली नावों पर कर:

(viii) नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली की प्रत्येक यूनिट के लिए पांच पैसे से अधिक की दर से बिजली की खपत पर कर:

(viiia) आग ठीक करना:

(viiib) एक स्वच्छता कर:

(viiic) नगर पालिका के भीतर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस पर कर;

(viiid) किसी भी विकास या सुधार कार्य के निष्पादन के कारण शहरी भूमि के मूल्य में वृद्धि पर विकास कर;

(viiie) सामान्य कर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर इमारतों और भूमि के वार्षिक मूल्य का 15% से अधिक नहीं;

बशर्ते कि सामान्य कर क्रमिक पैमाने पर लगाया जा सके:

यदि सरकार ऐसा निर्धारित करती है:

बशर्ते कि नगरपालिका क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले गांवों के लाल डोरा के भीतर इमारतों और भूमि पर सामान्य कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते वे स्व-कब्जा में हों।

(ix) तीर्थयात्राओं के संबंध में शुल्क;

(x) जल निकासी के संबंध में एक एफसीईई;

(xi) प्रकाश व्यवस्था के संबंध में शुल्क;

(xii) मैला ढोने के संबंध में शुल्क;

(xiii) शौचालयों और शौचालयों की सफाई के लिए शुल्क:

(xiv) धारा 203 के तहत बनाई गई योजना के तहत आंतरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लागत की प्रकृति में शुल्क:

(xv) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, कोई अन्य कर, टोल या शुल्क जिसे राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान के तहत राज्य में लगाने की शक्ति है;

(2) उप-धारा (1) के तहत किसी भी कर, टोल या शुल्क की दरें, खंड (viii) के अलावा, समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी:

बशर्ते कि ऐसी दरें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक न हों।

XX XX XX

200. सामान्य उपविधि - राज्य सरकार सभी या किसी नगर पालिकाओं पर लागू होने वाली उपविधि बनाएगी, जैसा कि वह अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, जिसके द्वारा समितियां-

XX XX XX

(xxx) संचार केबल (भूमिगत और भूमिगत) बिछाने, निजी एजेंसियों और अर्ध-सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थापित और रखरखाव किए गए संचार टावरों और डिश एंटेना के निर्माण को विनियमित करना; और

XX XX XX

(15) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क कि टावरों के निर्माण को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह भवन की परिभाषा में नहीं आता है और 1973 के अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान नहीं है जिसके तहत यह किया जा सकता है। नियंत्रित किया जाना, अस्थिर है। यह तर्क उठाया गया कि 'भवन' की परिभाषा में शामिल किए जाने वाले किसी भी परिसर का उपयोग केवल मानव निवास के लिए किया जाना चाहिए, यह भी गलत कल्पना है। 1973 अधिनियम की धारा 2(2) में निहित 'इमारत' की परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि इसका मतलब किसी भी दुकान, आउट-हाउस, झोपड़ी, घर, शेड या अस्तबल से है, चाहे इसका उपयोग मानव निवास के उद्देश्य से किया गया हो या अन्यथा। और चाहे वह चिनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, छप्पर, धातु या किसी भी अन्य सामग्री का हो और इसमें एक दीवार और एक कुआँ शामिल है। उपरोक्त परिभाषा अपने चरित्र में समावेशी है। यह किसी भी प्रकार से 'निर्माण' शब्द के अर्थ को सीमित नहीं कर रहा है। इसमें कोई भी संरचना शामिल है, जो धातु से बनी हो। इसके साथ ही, बिल्डिंग उपनियमों में निहित 'बिल्डिंग' की परिभाषा का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि यह कोई भी संरचना हो सकती है, इमारत का कोई भी हिस्सा हो सकता है या उससे जुड़ा हो सकता है। वर्तमान मामले में टावर स्टील से बने होते हैं और इन्हें छत के शीर्ष पर या इमारत के परिसर में खड़ा किया जाता है।

(16) भले ही 'बिल्डिंग' शब्द की परिभाषा में 'टॉवर' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि 1973 अधिनियम या उसके तहत बनाए गए बिल्डिंग उपनियमों में निहित है, लेकिन फिर भी जब उपरोक्त कानून बनाए गए थे, आवासीय क्षेत्र के भीतर इतनी बड़ी संख्या में टावरों का निर्माण अपेक्षित नहीं था। ऐसी स्थिति में अदालतें मूकदर्शक बनकर ऐसी गतिविधि को बेरोकटोक अनुमति नहीं दे सकतीं, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है। अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे लगातार क़ानूनों की इस प्रकार व्याख्या करें बदलते समय के साथ अपने शब्दों को अद्यतन करता है। यह माना जाना चाहिए कि बदली हुई परिस्थितियों और समय की आवश्यकता को देखते हुए, अधिनियम को भविष्य में किसी भी समय लागू किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. प्रफुल बी. देसाई (10)** के निर्णय मे फ्रांसिस बेनियन के दूसरे संस्करण "वैधानिक व्याख्या" शीर्षक वाली टिप्पणी पर भरोसा किया और निम्नानुसार राय व्यक्त की:

"ऐसा माना जाता है कि संसद का इरादा है कि न्यायालय मौजूदा अधिनियम पर एक ऐसा निर्माण लागू करे जो अधिनियम के शुरू में तैयार होने के बाद से बदलाव की अनुमति देने के लिए लगातार अपने शब्दों को अद्यतन करता है। हालांकि यह कानून बना हुआ है, इसे हमेशा बोलने के रूप में माना जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी दिन इसके आवेदन में, अधिनियम की भाषा हालांकि आवश्यक रूप से अपने समय में अंतर्निहित होती है, फिर भी इसे वर्तमान कानून के रूप में मानने की आवश्यकता के अनुसार समझा जाना चाहिए।

किसी चल रहे अधिनियम की व्याख्या करते समय, व्याख्याकार को यह मानना होगा कि संसद का इरादा इस अधिनियम को भविष्य में किसी भी समय इस तरह से लागू करने का है कि मूल इरादे को प्रभावी बनाया जा सके। इसलिए। दुभाषिया को अधिनियम के पारित होने के बाद से कानून, सामाजिक परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी, शब्दों के अर्थ और अन्य मामलों में होने वाले किसी भी प्रासंगिक परिवर्तन के लिए अनुमति देना है... आज के निर्माण में यह धारणा शामिल है कि संसद बहुत पहले से ही काम कर रही थी ऐसी स्थिति के लिए जो उस समय अस्तित्व में नहीं थी, उस निर्माण के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है। अधिनियम के शब्दों में, संसद से अस्थायी विकास की आशा की जाती है। मसौदा तैयार करने वाला भविष्य की भविष्यवाणी करेगा और शब्दों में इसकी अनुमति देगा।

इस प्रकार पिछले दिनों के एक अधिनियम को आज पढ़ा जाना चाहिए, वर्षों से गतिशील प्रसंस्करण के आलोक में, इसकी भाषा के वर्तमान अर्थ के लिए ऐसे संशोधन के साथ जो अब मूल विधायी इरादे को प्रभावी करेगा। गतिशील प्रसंस्करण की वास्तविकता और प्रभाव क्रमिक समायोजन प्रदान करता है। इसका गठन साल-दर-साल न्यायिक व्याख्या द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रसंस्करण भी शामिल है"।

(17) इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार यह राय दी गई है कि जहां किसी क़ानून की परिभाषा में "शामिल" शब्द का उपयोग किया जाता है, वहां चित्रित शब्द न केवल अपने सामान्य, लोकप्रिय और प्राकृतिक अर्थ को दर्शाता है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी होता है। विस्तारित वैधानिक अर्थ. शब्द का अर्थ न केवल उन चीजों को समझना चाहिए, जिन्हें वे अपने प्राकृतिक आयात के अनुसार दर्शाते हैं, बल्कि उन चीजों को भी समझते हैं जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है कि उन्हें शामिल किया जाएगा। **धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम व्यापार कर आयुक्त, (11) रमनलाल भाईलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य, (12) और दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम भोला नाथ शर्मा (मृत) (13)** कासंदर्भ दिया जा सकता है।

---

(11) (2006)5 SCC 624

(12) AIR 2008 SC 1246

(13) (2011) 2 SCC 54

(18) **एमसीडी बनाम प्रदीप ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, (14)** मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भूमिगत भंडारण टैंक का निर्माण माना है और उस पर संपत्ति कर लगाने को बरकरार रखा है। उक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा MANU/SC/0414/2011 में बरकरार रखा गया था।

(19) **सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम एमसीडी, MANU/DE/1198/2010** में दिल्ली उच्च न्यायालय और **भारती टेली-वेंचर्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, MANU/MI1/0123/207** में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अवधारणा दी है कि टावर 'बिल्डिंग' की परिभाषा में आता है।

(20) हमारी उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए, यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि टॉवर को भवन की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

(21) याचिकाकर्ताओं के लिए इकार्नड कमसेल द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह था कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 31 के संदर्भ में केंद्र सरकार के क्षेत्र में आने वाली दूरसंचार सेवाएं, इस प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप हो सकता है। टावर के निर्माण के लिए अनुमति देने का प्रपत्र पूरी तरह से अक्षम होगा। किसी 'चीज़' या 'गतिविधि' के कई पहलू हो सकते हैं और अनिवार्य रूप से। चूँकि केंद्रीय कानून इसके एक पहलू पर ध्यान देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अन्य प्राधिकरण इसके अन्य पहलुओं को विनियमित नहीं कर सकता है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I में प्रविष्टि 31 डाक और टेलीग्राफ का प्रावधान करती है। टेलीफोन, वायरलेस, प्रसारण और संचार के अन्य रूप। यह संचार के विभिन्न तरीकों से संबंधित है। उपरोक्त सक्षम शक्ति के तहत और जैसा कि 1885 अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, केंद्र सरकार के पास दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस देने का विशेष अधिकार है। यह किसी भी तरह से उस मुद्दे से निपटता नहीं है जहां कोई बुनियादी ढांचा, भवन या टावर का निर्माण किया जाना है। यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण किया जाना है या टावर खड़ा किया जाना है, तो उसे आवश्यक रूप से इस उद्देश्य के लिए लागू किसी भी संरचना के प्रावधानों के अनुपालन में होना चाहिए।

(22) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विवादित उपनियम। अन्य बातों के साथ-साथ, टावर के स्थान, अधिकतम ऊंचाई और टावर की संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र प्रदान करना, रक्षा से मंजूरी के अधीन। नागरिक उड्डयन और दूरदर्शन प्राधिकरण। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता है। स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को बेतरतीब ढंग से विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि स्थानीय प्राधिकरण विभिन्न सुविधाएं सर्वोत्तम रूप से उपलब्ध कराएगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि निकटतम पड़ोस में कोई ऊंची इमारत या संरचना नहीं बनाई जाएगी, जो या तो आसपास की इमारतों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है या इलाके में सौंदर्य की दृष्टि से

उपयुक्त नहीं हो सकती है या किसी भी तरह से जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यदि लोगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थानीय क्षेत्र में इमारतें या ढाँचे बनाने की अनुमति दी जाती है, तो इससे निश्चित रूप से एक शहरी झुग्गी बस्ती का निर्माण होगा। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व उस बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखकर नियंत्रित किया जाता है जो वहां उपलब्ध है या प्रदान किया जा सकता है।

(23) किसी भवन का मालिक अपने निजी हित को ध्यान में रखते हुए। किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ एक समझौता करते समय वह अपनी छत पर या इमारत के परिसर में टावर लगाने की अनुमति दे सकता है। मैं वहां रह सकता हूं या नहीं भी रह सकता हूं। हो सकता है कि उसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा या स्वास्थ्य पर प्रभाव की चिंता न हो, लेकिन स्थानीय प्राधिकारी निश्चित रूप से क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामान्य भलाई और सुरक्षा पर विचार करने के लिए बाध्य है। व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि टावरों के निर्माण की अनुमति देने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा।

(24) स्थानीय प्राधिकारी भी अनुमति देने से पहले किसी भी गतिविधि के पर्यावरणीय पहलू का ध्यान रखने के लिए बाध्य है। वर्तमान स्थिति में, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव न केवल वायु और जल प्रदूषण के रूप में हो सकता है, बल्कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी हो सकता है, जिसके लिए विभिन्न अध्ययन उपलब्ध हैं जो मानते हैं कि ये प्रभाव पड़ रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य. मोबाइल रेडियो तरंगों के रूप में सिग्नल उत्सर्जित करते हैं। ये माइक्रोवेव विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में होते हैं। ऐसी आशंका है कि यह विकिरण हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में परिवर्तन ला सकता है। यदि मस्तिष्क कोशिकाओं में डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वे कैंसर बन सकते हैं और विशेष रूप से ग्लिओमास में मस्तिष्क ट्यूमर का कारण बन सकते हैं। यह भी आशंका है कि रेडियो तरंगें हमारे मस्तिष्क में रासायनिक और विद्युत प्रतिक्रियाओं को बदल सकती हैं, जिससे मस्तिष्क कोशिकाओं के संचार के तरीके में बदलाव आ सकता है। इससे भावनात्मक विकार भी हो सकते हैं। हाल के दिनों में घरेलू गौरैया की आबादी में धीरे-धीरे कमी देखी गई है। किए गए अध्ययनों से पता चला है कि अधिकांश प्रदूषित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में गौरैया की संख्या कम हो गई है।

(25) हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोबाइल फोन के संभावित खतरे पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि मोबाइल का उपयोग संभवतः मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक है, एक शब्द जो मोबाइल को रेटिंग पैमाने के बीच में रखता है जिसमें कार्सिनोजेन्स के पांच स्तर होते हैं। इसका मतलब है कि मोबाइल को उन चीज़ों से नीचे स्थान दिया गया है जो निश्चित रूप से कैंसर का कारण बनती हैं, जैसे धूम्रपान और सन बेड। इसे उन चीज़ों के साथ रखा गया है जिन पर अभी भी सवाल हैं, जैसे कीटनाशक डीडीटी और सीसा।

(26) 1973 अधिनियम के तहत बनाए गए बिल्डिंग उप-नियम स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र का प्रावधान करते हैं जिसे एक भूखंड, ज़ोनिंग योजना, एक इमारत की अधिकतम ऊंचाई पर कवर किया जा सकता है, इसकी नींव जो कि संयुक्त मृत भार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। निर्माण के साथ-साथ अधिरोपित भार और उस भार को अनुमेय सीमा के भीतर उप-मिट्टी में स्थानांतरित करना, उपयोग की जाने वाली सामग्री का प्रकार और विभिन्न अन्य संबद्ध चीजें। यदि याचिकाकर्ताओं की तरह सेवा प्रदाताओं को पड़ोस में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का ख्याल किए बिना इमारतों के मालिकों या कब्जेदारों के साथ एक समझ या समझौता करके किसी भी स्थान पर टावर लगाने की अनुमति दी जाती है तो परिणाम बेतुके हो सकते हैं।

(27) दूरसंचार विभाग द्वारा याचिकाकर्ताओं को प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में निहित शर्तों में से एक। भारत सरकार भी इस क्षेत्र को स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ देती है। वही नीचे निकाला गया है:

"7.6 पंजीकृत कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा किया गया दूरसंचार इंस्टॉलेशन सुरक्षा के लिए खतरा न बने और किसी क़ानून, नियम या विनियमन का उल्लंघन न हो और सार्वजनिक नीति।

(28) विवाद समाधान, यदि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित प्रविष्टियों के संदर्भ में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का कोई स्पष्ट ओवरलैपिंग है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न घोषणाओं द्वारा अच्छी तरह से निर्देशित होता है। **फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसो. भारत बनाम भारत संघ, (15)** माना गया लेवी केंद्रीय कानून के तहत व्यय कर था, इस तर्क के संदर्भ में कि वही सूची II की प्रविष्टि 62 के तहत विलासिता पर पदार्थ कर था। केंद्र सरकार का रुख यह था कि व्यय पहलू विलासिता पहलू से अलग था और व्यय पहलू को विलासिता पहलू से बाहर रखा जा सकता था। याचिका को बरकरार रखा गया। ऐसा अवधारित किया गया:

"26. जहां भी विधायी शक्तियां संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती हैं, वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां दो विधायी क्षेत्र स्पष्ट रूप से ओवरलैप हो सकते हैं। यह अदालतों का कर्तव्य है. यह पता लगाना कितना भी कठिन क्यों न हो, किस हद तक और किस हद तक। विषयों के इन वर्गों के अंतर्गत आने वाले मामलों से निपटने और परिभाषित करने का अधिकार कैश विधानमंडल में मौजूद है। उनके समक्ष विशेष मामले में. संबंधित शक्तियों की सीमाएं. ऐसा इरादा नहीं हो सकता था कि कोई टकराव हो: और, ऐसे परिणाम को रोकने के लिए दो प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, और एक की भाषा में व्याख्या की जानी चाहिए। और, जहां आवश्यक हो, दूसरे के द्वारा संशोधित किया गया।

---

(15) (1989) 3 SCC 634

(27) **प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स (16)** में न्यायिक समिति, को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गयासर मौरिस ग्वेयर 'सी.जे.' की निम्नलिखित टिप्पणियाँ सुब्रह्मण्यम चेट्टियार केस 4 में:

"यह समय-समय पर अनिवार्य रूप से होता है कि विधान, हालांकि एक सूची में एक विषय से निपटने का दावा करता है, दूसरी सूची में एक विषय को भी छूता है, और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को इतनी बारीकी से जोड़ा जा सकता है कि कड़ाई से अंध-पालन किया जा सकता है। मौखिक व्याख्या के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में क़ानून अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे क्योंकि उन्हें अधिनियमित करने वाली विधायिका एक निषिद्ध क्षेत्र में कानून बना सकती है। इसलिए न्यायिक समिति द्वारा जो नियम विकसित किया गया है, उसके तहत विवादित क़ानून की जांच की जाती है ताकि उसके सार का पता लगाया जा सके। और पदार्थ', या इसकी 'वास्तविक प्रकृति और चरित्र', यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या यह इस सूची में या उसमें मामलों के संबंध में कानून है।"

(28) यह शक्तियों के विभाजन के अर्थ पर निर्णय लेने के लिए "संघीय सरकार के लिए आवश्यक, सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों से स्वतंत्र एक निष्पक्ष निकाय की भूमिका" को आवश्यक बनाता है। न्यायालय यह निकाय है।

(29) वर्तमान मामले में स्थिति थोड़ा अलग रंग लेती है। यह याचिकाकर्ताओं के मामले का कोई हिस्सा नहीं है कि "व्यय कर" राज्यों की शक्ति के भीतर करों में से एक है या यह केंद्रीय संसद के लिए निषिद्ध कर है। इसके विपरीत, यह विवादित नहीं है कि "व्यय कर™ लगाने वाला कानून सूची-1 की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 248 के तहत केंद्रीय संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत है। लेकिन विशिष्ट विवाद यह है कि विवादित कानून के तहत विशेष कर लगाया गया है इसकी प्रकृति और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह वास्तव में "व्यय कर" नहीं है क्योंकि यह ऐसे कर के बारे में अर्थशास्त्रियों की धारणा के अनुरूप नहीं है। यह तर्क का एक अंग है। दूसरा यह है कि कानून है, दया और सार में, वास्तव में विलासिता पर या वस्तुओं की बिक्री के लिए भुगतान की गई कीमत पर कर लगाना। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस तरह के कर की अर्थशास्त्रियों की अवधारणा विधायी शक्ति को योग्य बनाती है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या "व्यय" निर्धारित किया गया जिसे "विलासिता" माना जा सकता है या पुराने सामान की खरीद पर अलग-थलग होने की बात स्वीकार की जाती है और कर कानून के एक अलग क्षेत्र के रूप में पहचान के लिए अतिसंवेदनशील एक अलग पहलू के रूप में पहचाना जाता है।

(30) लेफ्रॉय के कनाडा की संघीय प्रणाली में विद्वान लेखक ने कनाडाई संविधान की धारा 91

---

(16) AIR 1947 PC 60

और 92 यानी ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, 1867 के तहत "कानून के पहलुओं" का जिक्र करते हुए कहा कि "सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक जो विधायी शक्ति के वितरण के संबंध में न्यायिक निर्णयों द्वारा विकसित किया गया है कि जो विषय एक पहलू में और एक उद्देश्य के लिए एक विशेष विधायिका की शक्ति के भीतर आते हैं, वे दूसरे पहलू में और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी अन्य विधायी शक्ति के भीतर आ सकते हैं। विद्वान लेखक कहते हैं:

"...कि 'पहलू' से कानून के उद्देश्य, उद्देश्य और दायरे को कानून बनाने में विधायक के पहलू या दृष्टिकोण को समझा जाना चाहिए कि इस शब्द का उपयोग विधायक के व्यक्तिपरक रूप से किया जाता है, न कि कानून बनाए गए मामले के उद्देश्यपूर्ण रूप से। ।"

ब्रिटिश कोलंबिया बनाम ब्रायडेन की यूनियन कोलियरी कंपनी में, (17) लॉर्ड हाल्डेन ने कहा:

"यह उल्लेखनीय है कि जिस तरह से इस बोर्ड ने धारा 91 और धारा 92 के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित किया है, यह मानते हुए कि जो विषय एक पहलू में धारा 91 के अंतर्गत आते हैं, वे दूसरे पहलू के तहत धारा 92 के अंतर्गत आ सकते हैं।"

(31) वास्तव में, किसी विषय के संबंध में कानून संयोगवश किसी अन्य विषय को किसी तरह से "प्रभावित" कर सकता है; लेकिन यह बाद वाले विषय पर कानून के समान नहीं है। ओवरलैपिंग हो सकती है: लेकिन ओवरलैपिंग कानून के मुताबिक होनी चाहिए। एक ही लेनदेन में इसके विभिन्न पहलुओं में दो या दो से अधिक कर योग्य घटनाएं शामिल हो सकती हैं। लेकिन तथ्य यह है कि अतिव्यापी दस्तावेज़ पहलुओं की विशिष्टता को कम नहीं करते हैं। गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल बनाम मद्रास प्रांत, (18) में लॉर्ड सिमंड्स

माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क और कर की अवधारणाओं के संदर्भ में कहा गया है:

"... दो कर, एक निर्माता पर उसके माल के संबंध में लगाया जाता है, दूसरा विक्रेता पर उसकी बिक्री के संबंध में लगाया जाता है, जैसा कि बताया गया है, एक अर्थ में ओवरलैप हो सकते हैं। लेकिन कानून में ऐसा है कोई ओवरलैपिंग नहीं। करों को अलग-अलग और अलग-अलग लगाया जाता है। यदि वास्तव में वे ओवरलैप होते हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उत्पाद शुल्क लगाने वाले कर लगाने वाले प्राधिकारी को उस समय उस शुल्क को लागू करना सुविधाजनक लगता है जब उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु कारखाने या कार्यशाला से निकलती है पहली बार इसके साल्क के मौके पर..."

(32) "पहलू" सिद्धांत का जिक्र करते हुए लास्किन के कनाडाई संवैधानिक कानून में कहा गया है:

"'एएसपीसीटी' सिद्धांत उन लोगों से कुछ समानता रखता है जिनका अभी उल्लेख किया गया है, लेकिन, उनके विपरीत, यह इस बात से संबंधित नहीं है कि 'मामला' क्या है, बल्कि इससे संबंधित है कि यह 'अंदर क्या आता है'...(पृ. 115)

.... यह वहां लागू होता है जहां कुछ संवैधानिक तत्व जिनके संयोजन से क़ानून चिंतित है (अर्थात्, वे इसका 'मामला' हैं), विषयों के एक वर्ग के संबंध में सबसे अधिक बार पाए जाने वाले एक प्रकार के होते हैं और अन्य एक प्रकार के होते हैं अधिकतर दूसरे के संबंध में निपटाया जाता है। जैसे कि चाकू ब्लेड, स्क्रूड्राइवर, फिशस्केलर, नेलफाइल आदि को कॉम्पैक्ट रूप से असेंबल करने वाले पॉकेट गैजेट के मामले में, इसके विवरण में हर चीज का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन इसे चिह्नित करने में इससे बनने के लिए प्रस्तावित विशेष यूएससी यह निर्धारित करती है कि यह क्या है। (पृ. 116)

"...मैं ऑपरेटिव असंगति और 'पहलू' सिद्धांत के कुछ सहसंबंधों पर टिप्पणी करना चाहता हूं। दोनों एक क़ानून की समग्र प्रकृति से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से जूझते हैं, एक संविधानों पर असर डालने वाले प्रांतीय उपायों पर संघीय कानून के पूर्ववर्ती प्रभाव के संबंध में है संघीय रूप से विनियमित आचरण का, दूसरा यह पहचानने के लिए कि संपूर्ण मामले के कौन से हिस्से इसे विषयों के एक वर्ग के भीतर लाते हैं..." (पृष्ठ 117)।

26. एक ही मामले के विभिन्न पहलुओं के उदाहरण के माध्यम से. राज्य कानून के तहत संपत्ति पर कर और केंद्रीय कानून के तहत आय पर कर का उदाहरण भी दिया गया था:

"38. वास्तव में, एक ही मामले के विभिन्न पहलुओं के उदाहरण के रूप में। विभिन्न विधायी शक्तियों के तहत कानून का विषय होने के नाते, किसी व्यक्ति के कब्जे में उसके स्वयं के निवास के लिए संपत्ति के वार्षिक किराये के मूल्य का संदर्भ दिया जा सकता है। एक पहलू में, स्टेटक कानून के तहत संपत्ति कर लगाने का उपाय और दूसरे पहलू में आयकर के उद्देश्य के लिए अनुमानित या अनुमानित आय का गठन होता है।

(29) ऑल-इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, (19) केंद्रीय विधानमंडल द्वारा चार्टर्ड अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रदान की गई सेवा पर सेवा कर लगाने को चुनौती दी गई थी और उस पर आपत्ति प्रविष्टि पर आधारित थी। 60 सूची ॥ व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर लगाने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति प्रदान करती है। चुनौती को खारिज करते हुए, यह माना गया कि सूची ॥ की प्रविष्टि 60 में सेवाओं पर कर शामिल नहीं है। पेशे पर कर पेशेवर सेवा पर कर से भिन्न था। यह अवधारित किया गया:

"34. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रविष्टि 60, सूची ॥ व्यवसायों आदि पर करों को संदर्भित करती है। यह व्यक्तिगत व्यक्ति/फर्म या कंपनी पर कर है। यह स्थिति पर कर है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार एक प्राप्त करता है अभ्यास करने के लिए सक्षम निकाय से लाइसेंस या विशेषाधिकार। उस विशेषाधिकार पर राज्य प्रविष्टि 60 के तहत कर लगाने में सक्षम है। हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रविष्टि 60 एक सामान्य प्रविष्टि नहीं है। इसे हर किसी को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट आर्किटेक्ट द्वारा विचारार्थ की गई गतिविधि सेवा

कर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट या एक आर्किटेक्ट द्वारा की गई कैश गतिविधि पर एक कर है। लागत अकाउंटेंट/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट अपने ग्राहक से सलाह के लिए या खातों की ऑडिटिंग के लिए शुल्क लेता है। इसी प्रकार, एक लागत लेखाकार अपने ग्राहक से सलाह के साथ-साथ नकदी लेनदेन या अनुबंध के लिए लागत का काम करने के लिए शुल्क लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार पेशे आधारित सेवाएं प्रदान करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा की जाने वाली गतिविधि या एक वास्तुकार के दो पहलू होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट के दृष्टिकोण से यह उनके प्रदर्शन और कौशल के आधार पर की जाने वाली गतिविधि है। लेकिन अपने ग्राहक के दृष्टिकोण से, चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट उसका सेवा प्रदाता है। यह "सेवाओं" पर एक कर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत अकाउंटेंट द्वारा की गई गतिविधि करदाता द्वारा उत्पादित बिक्री योग्य या विपणन योग्य वस्तुओं के समान है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत घरेलू उपभोग के लिए करदाता द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

XX XX XX

43. जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूचियों में प्रत्येक प्रविष्टि की एक योजनाबद्ध व्याख्या की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, संवैधानिक कानून अवधारणाओं और सिद्धांतों के बारे में है। इनमें से कुछ सिद्धांत न्यायिक निर्णयों से विकसित हुए हैं। उक्त परीक्षण कराधान कानूनों पर भी लागू होता है। यही कारण है कि सूचियों में प्रविष्टियों को दो समूहों में विभाजित किया गया है, एक सामान्य विषयों से संबंधित और दूसरी कराधान से संबंधित। कराधान से संबंधित प्रविष्टियाँ सामान्य प्रविष्टियों की तुलना में भिन्न प्रविष्टियाँ हैं। यही कारण है कि संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में प्रविष्टियों के कैश के दायरे को तय करते समय सार और पदार्थ के सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार और पदार्थ का यह सिद्धांत ऊपर उद्धृत अनुच्छेद 246(1) के शब्दों से निकलता है, अर्थात्, "सूची में गिनाए गए किसी भी मामले के संबंध में। उक्त सिद्धांत की निचली पंक्ति कानून को एक के रूप में देखना है संपूर्ण और यदि इसका प्रविष्टि के साथ कोई ठोस संबंध है, तो मामले को विषय पर कानून माना जा सकता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 246 में "के संबंध में" शब्दों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह "के सिद्धांत को लाता है" विधायी शक्तियों के दायरे को समझने के लिए सार और सार।

44. कानून बनाने की क्षमता अनुच्छेद 245, 246 और भाग XI के अन्य अनुच्छेदों से प्रवाहित होती है। वित्त अधिनियम जैसे कानून का समर्थन कई प्रविष्टियों के आधार पर किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, हम लेवी, अर्थात् सेवा कर की संवैधानिक स्थिति से चिंतित हैं। लेवी का नामकरण नहीं है इसके वास्तविक चरित्र और प्रकृति को तय करने के लिए निर्णायक। किसी विशेष लेवी के वास्तविक चरित्र और प्रकृति को तय करने के लिए, विधायी क्षमता के संदर्भ में, अदालत को कानून के सार और सार पर गौर करना होगा। संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। कर कानून भाग XII और भाग XIII द्वारा शासित होते हैं। अनुच्छेद 265 अनुच्छेद 245 में आता है जब यह कहता है कि कर कानून के प्राधिकार द्वारा लगाया जाएगा। दोहराने के लिए, सातवीं

अनुसूची में विभिन्न प्रविष्टियाँ दर्शाती हैं कि कर लगाने की शक्ति को विधायी क्षमता के प्रयोजन के लिए एक अलग मामला माना जाता है। यह एंट्रिक्स के दो समूहों, अर्थात् सामान्य प्रविष्टियों और कर प्रविष्टियों के बीच अंतर करने का अंतर्निहित सिद्धांत है। हमारा विचार है कि व्यवसायों, व्यापार, आजीविका आदि पर करों की तुलना में सेवाओं पर कर एक अलग विषय है। इसलिए, सूची II की प्रविष्टि 60 और सूची I की प्रविष्टियाँ 92-सी/97 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं।

XX XX XX

(46) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक निगम बनाम हरियाणा राज्य (1981) 2 एससीसी 318 में, अपीलकर्ता परिवहन संचालक थे। हरियाणा राज्य ने हरियाणा यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 के तहत यात्रियों और माल पर कर लगाया। अपीलकर्ताओं ने यात्रियों पर कर लगाने और उनके वाहनों द्वारा माल की ढुलाई के संबंध में धारा 3(3) की वैधता पर सवाल उठाया। राष्ट्रीय राजमार्ग. अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया था कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसद को सूची I की प्रविष्टि 1 से 96 में गिनाए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अपनी शक्ति को सूची की प्रविष्टि 1 से 96 में गिनाए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अपनी शक्ति को सूची I की प्रविष्टि 97 के तहत कानून बनाने की अपनी शक्ति के साथ संयोजित करने से रोक सके। यदि ऐसा है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों और माल पर कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद की विशेष विधायी क्षमता के भीतर थी और इसलिए। हरियाणा यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 की धारा 3(3) राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे थी। इस तर्क को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया, जिसने यह विचार किया कि पहले विशेष विधायी क्षमता का सहारा लेकर संसद के लिए दावा किया जा सकता है प्रविष्टि 97, सूची I में, राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता स्थापित की जानी चाहिए। प्रविष्टि 97 स्वयं विशिष्ट थी। उसमें, किसी मामले को उस प्रविष्टि के अंतर्गत तभी लाया जा सकता है जब वह सूची II या III में सूचीबद्ध न हो, और कर के मामले में, यदि उन सूचियों में इसका उल्लेख नहीं किया गया हो। हम उपरोक्त प्रस्ताव पर विवाद नहीं करते हैं। वह प्रस्ताव अच्छी तरह से तय हो चुका है। यह न्यायालय इस मामले में उक्त सिद्धांत के अनुप्रयोग से चिंतित है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य विधानमंडल को व्यवसायों, व्यापारों पर कर लगाने का अधिकार है। कॉलिंग, आदि। इस प्रकार, इसलिए, "सेवाओं" शब्द को प्रविष्टि 60 में 'पेशे' शब्द के पर्याय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, सेवाओं पर कर प्रविष्टि 60, सूची 11 के अंतर्गत नहीं आता है। कि, सेवा कर प्रविष्टि 92 के अंतर्गत आएगा- सूची 1 की सी/प्रविष्टि 97।

XX XX XX

48. टी.एन. कल्याण मंडपम असो. बनाम भारत संघ, (2004) 5 एससीसी 632, मे इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि स्क्रविक टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी सेवाओं पर भुगतान किया जाना है। आगे यह माना गया है कि उक्त कर "सेवा" पर

है, न कि सेवा प्रदाता पर। पैरा 58 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 246(1) के तहत, संसद के पास संविधान की सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। अनुच्छेद 246(3) के अनुसार। राज्य सरकार के पास सूची II (राज्य सूची) में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। उक्त निर्णय में, यह माना गया है कि सेवा कर सूची 1 की प्रविष्टि 97 के तहत संसद द्वारा बनाया गया है। इसलिए, हमारे मामले में, वर्तमान मामले में मुद्दे का मुद्दा पूरी तरह से टीएन में इस न्यायालय के फैसले द्वारा कवर किया गया है। कल्याण मंडपम. बिल्कुल। वर्तमान मामले में, हम मंडप-रक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से चिंतित नहीं हैं, जो वह कार्य करता है जिसे संपत्ति आधारित सेवाएं कहा जाता है। इस मामले में, हम प्रदर्शन आधारित सेवाओं से चिंतित हैं। हालाँकि, दोनों श्रेणियाँ "सेवाएँ" शब्द के दायरे में आती हैं।

(49) गुजरात में अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड. बनाम भारत संघ, (2005) 4एससीसी 214। यह माना गया कि सेवा कर माल या यात्रियों पर कर नहीं है, बल्कि यह परिवहन पर ही था और इसलिए। यह संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 97 के तहत संसद की अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है। आगे यह माना गया कि सेवा कर यात्रियों या वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि माल की ढुलाई के संबंध में सेवा की स्थिति पर लगाया जाता है और इसलिए, यह मानना संभव नहीं है कि यह अधिनियम राज्य के विशेष दायरे में है। सूची II की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत शक्तियाँ। यह माना गया कि सेवा कर सूची 1 की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत आता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है। हम सूची II की प्रविष्टि 60 से चिंतित हैं। जैसा कि ऊपर कहा। सेवा कर प्रदर्शन आधारित सेवाओं पर ही है, यह पेशेवर सलाह, कर योजना, ऑडिटिंग, लागत आदि पर है। किए गए व्यय के प्रत्येक भाग पर कर देय होता है। इसलिए। उपरोक्त निर्णय का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

(30) हमारी उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई दम नहीं है कि राज्य सूची-1 से भारत के संविधान की अनुसूची सातवीं की प्रविष्टि 31 के संदर्भ में भारत संघ को प्रदत्त शक्ति का उल्लंघन कर रहा है।

(31) जहां तक याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क का सवाल है कि टावरों के निर्माण की अनुमति देने के लिए उपनियमों का निर्माण और मल शुल्क लगाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) और 265 का उल्लंघन है। भारत का संबंध है, यह पूरी तरह से गलत धारणा है। किसी भी व्यवसाय को चलाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह हमेशा उचित प्रतिबंध और विनियमन के अधीन है। उपनियमों में जो भी प्रावधान किया गया है वह टावरों के निर्माण से पहले अनुमति लेने के लिए है। इस तरह का कोई कर नहीं लगाया गया है क्योंकि यह केवल वह शुल्क है जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने और उसके नवीनीकरण के लिए वसूलने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए जाने की मांग की गई कोई भी निर्णय इस तथ्य के कारण

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं है कि विचाराधीन मुद्दे या तो कर और शुल्क की अवधारणा, प्रतिपूरक कर या विकास शुल्क का लेवी थे।

(32) जहां तक अनुमति देने और नवीनीकरण के लिए शुल्क लगाने का मुद्दा है, याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क यह है कि नगरपालिका समिति द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है या प्रदान की जानी है। याचिकाकर्ताओं, यह चरित्र प्राप्त नहीं करेगा बल्कि, शुल्क को कर कहा जाना चाहिए जिसके लिए राज्य के पास कोई विधायी क्षमता उपलब्ध नहीं है, जबकि उत्तरदाताओं का रुख यह है कि यह केवल एक नियामक शुल्क है जिसके लिए कोई सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(33) 1973 अधिनियम की धारा 70 स्पष्ट रूप से राज्य के साथ-साथ नगर पालिका समिति को विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है। यह उन शक्तियों का बहिष्कार है जो विचाराधीन उपनियमों के तहत हैं। शुल्क लगाया गया है।

(34) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 में निहित प्रविष्टि 66 राज्य को सूची में किसी भी मामले के संबंध में शुल्क लगाने में सक्षम बनाती है। उपरोक्त प्रविष्टि के संदर्भ में, राज्य भवनों की निर्माण गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए नियामक शुल्क लगाने में सक्षम होगा। ऊंचे टावरों का निर्माण अपने आप में एक वर्ग है और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए आवासीय प्रयोजनों के लिए भवन निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क की तुलना में अलग शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि लगाए गए प्रकार के शुल्क को 1973 अधिनियम की धारा 70(1)(i) से (xiv) में वर्णित नहीं किया गया है, तथापि, धारा 70(1)(xv) यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, कोई अन्य कर, टोल या शुल्क जिसे राज्य विधानमंडल के पास लगाने की शक्ति है, लगाया जा सकता है। हालाँकि, 1973 अधिनियम की धारा 70(2) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के तहत ऐसे कर, टोल या मल की दरें समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी, बशर्ते कि ऐसी दरें राज्य सरकार की अधिकतम सीमा से अधिक न हों। समय-समय पर अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।

(35) उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में, हम इस विचार के हैं कि शुल्क, जो कि उपनियमों में निर्धारित किया गया है, धारा 70(1)(xv) के तहत राज्य को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग है। 1973 अधिनियम और 1973 अधिनियम की धारा 70(2) के तहत परिकल्पित एक बाहरी सीमा निर्धारित करता है। संबंधित नगर पालिका समिति ने 1973 अधिनियम की धारा 70(2) के तहत उस दर को निर्धारित करके अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है जिस पर इसे लगाया जाना चाहिए। तदनुसार, सिद्धांत रूप में शुल्क की वसूली को बरकरार रखते हुए, हम 1973 अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत शुल्क, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए नगरपालिका समिति पर खुला

छोड़ देते हैं। नगरपालिका समितियाँ/निगम यह कार्य 31 अगस्त, 2011 तक कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही भुगतान की गई राशि अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क की राशि के अनुरूप होगी।

(36) आम तौर पर यह अनुभव किया जाता है कि राज्य या उसके अधीन गठित विभिन्न प्राधिकरण हमेशा यह दिखाने और लागू करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें कर या मल वसूलने का अधिकार है, लेकिन जब कर्तव्य पालन की बारी आती है, तो वे लापरवाही बरतते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वे जनता की सेवा के लिए हैं। आम जनता चुपचाप महसूस करती है कि राज्य द्वारा एकत्र किया गया राजस्व का अच्छा हिस्सा बर्बाद हो गया है, लेकिन वे असहाय हैं। हाल के दिनों में, देश ने विभिन्न मुद्दों पर बड़े पैमाने पर जनता की नाराजगी का अनुभव किया है, जहां सरकार विफल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुनियादी ढांचे को जोड़ने की आवश्यकता है, जो समाज में विकास का संकेत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के अधिकारियों को केवल लाइसेंस प्रदान करने या अनुमति देने के लिए करों, शुल्कों की वसूली करनी चाहिए, लेकिन यह देखने के लिए अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए उनके द्वारा दी गई अनुमतियों का आम जनता पर उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के रूप में या उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।

(37) स्थानीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन सभी संबंधितों की जानकारी के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करें जहां टावर के निर्माण की अनुमति पर विचार किया जा रहा है या दी जा रही है ताकि जनता को यह बताया जा सके कि यह कितनी मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करेगा और अरका में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। अधिकारियों को आम जनता की इन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील नहीं होना चाहिए और अपने संवैधानिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। इसे सार्थक होना होगा. याचिकाकर्ताओं को जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर अपने लाभ के लिए व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहां तक कि उनका यह भी कर्तव्य है कि वे उचित सार्वजनिक सूचना जारी करके क्षेत्र में एक टावर द्वारा उत्सर्जित होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में वहां के निवासियों को अवगत कराएं।

(38) ऊपर बताए गए कारणों से. जहाँ तक आई लारियाना म्युनिसिपल (संचार टावरों का निर्माण) उपनियमों की वैधता का सवाल है। जहां तक 2009 का संबंध है, इसे बरकरार रखा गया है। हालाँकि, जहाँ तक लाइसेंस शुल्क लगाने का सवाल है, यह माना जाता है कि यह 1973 अधिनियम की धारा 70(1)(xv) के तहत प्रदत्त शक्तियों और अंतिम दर के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा होगी। 1973 अधिनियम की धारा 70(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित नगरपालिका समिति द्वारा तय किया जाना है। जैसा कि ऊपर पैरा 35 में पहले ही देखा जा चुका है।

(39) रिट याचिकाओं का निपटारा ऊपर बताए गए तरीके से किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा